No.41018/2/2011-स्थापना (आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
<u>कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग</u>

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
<u>दिनांक 22 दिसंबर, 2011</u>

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय- "भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल सेवा व पदों पर अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण"- अल्पसंख्यक समुदाय के उप-कोटा।

अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है कि वह "भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल सेवा व पदों पर अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण" विषय पर इस विभाग के दिनांक 8 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी) पर ध्यानाकर्षण प्रस्तुत करे।

2. भारत सरकार ने धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के पहचान हेतु मापदण्ड का सुझाव देने तथा उनके, सरकारी नियुक्ति में आरक्षण सहित, कल्याण हेतु उपायों की अनुशंसा हेतु एक राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्प संख्यक आयोग की स्थापना की थी। दिनांक 10, मई, 2007 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें, अन्य बातों के अलावा, सरकारी नियुक्ति में अन्य पिछडा वर्ग के लिए उपलब्ध 27% आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% उप कोटा की अनुशंसा भी शामिल थी।

3. सरकार ने उपरोक्त अनुशंसा पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन द्वारा अन्य पिछडा वर्ग के लिए उपलब्ध 27% आरक्षण में से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अन्तर्गत यथा परिभाषित अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% का उप कोटा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त उप कोटा में अल्पसंख्यकों की वह जाति / समुदाय, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अन्य पिछडा वर्ग की राज्यवार केन्द्रीय सूची में सम्मिलित है, समाविष्ट होगी।

4. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में समान रूपी अनुदेश, क्रमशः सार्वजनिक उद्यम विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।

5. यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2012 से प्रभावी होगा तथा दिनांक 8 सितंबर,93 का कार्यालय ज्ञापन सं. 36012 /22/ 93 –स्थापना (आरक्षण) , उपरोक्त सीमा तक संशोधित हो गया है।

(शरद कुमार श्रीवास्तव)
भारत सरकार के अवर सचिव

भारत सरकार के सभी मंत्रालय – विभाग।

प्रति

1. वित्तीय सेवा विभाग /लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग/ भारत का सर्वोच्च न्यायालय /निर्वाचन आयोग / लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग/ भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
4. NIC, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

के० आर० में जारी हुआ
(S RECEIVED ON C.R.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
22 DEC 2011
के.र.सं./C. R. No.................